फर्द अहकाम

विशनसिंह बनाम राज० सरकार

नाम न्यायालय SDO शाहपुरा

केस संख्या 30/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/3/18	वादी ने निवेदन किया कि वादी के पिता वर्ष 1994 से बिना बताये चले जाने के कारण उनके खातेदारी गण राजस्व रिकार्ड में विरासत नामान्तकरण दर्ज नहीं करा रहे हैं तथा सरकारी योजना व बैंक लोन आदि से वंचित होना पड़ रहा है साथ ही यह भी निवेदन किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत वादीगण के पिता 7 वर्ष से अधिक अवधि से जीवित व मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं सुने जाने के कारण न्यायालय उनकी मृत्यु मानकर विरासत नामान्तकरण का आदेश जारी करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया वाद पत्र के बिन्दु सं. 1 में वर्णित आराजी वादीगण के पिता के नाम दर्ज है तथा ग्राम [illegible] से जारी प्रमाण पत्र दिनांक 19/3/18 के अनुसार खातेदार दीनसिंह 25 वर्ष पूर्व बिना किसी को बताये फरार होना बताया है तथा पटवारी (तह०) की रिपोर्ट में भी 29.1.14 को मौका रिपोर्ट में दीनासिंह को 18-19 वर्ष पूर्व से गाँव में नहीं देखना बताया है। वादी स्वयं विशनसिंह ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि मेरे पिता मंद बुद्धि के थे जो दिनांक 13/3/1994 को गाँव छोड़कर बिना बताये ही चले गये तथा शायद उनकी मृत्यु होना जाहिर करते हुए कहा कि इस वजह से लौटकर नहीं आये। इसी प्रकार श्री शेरसिंह पुत्र जनसिंह ने शपथ पत्र पेश किया है कि दीनासिंह 23 वर्ष पूर्व बिना किसी बताये चले गये थे। तथा वादीगण उक्त विवादित आराजी पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। अन्य [illegible]

30/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
[illegible]/5/18	इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि श्री दीनसिंह पुत्र छगनसिंह राजपूत नि. निठारा अपने ग्राम से वर्ष 1994 से बिना किसी सूचना चले गये तथा मंदबुद्धि होने से वापिस लौटकर नहीं आये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत 7 वर्ष से अधिक समय होने पर भी जीवित होने की सूचना नहीं होने से खातेदार दीनसिंह की मृत्यु होना जाहिर होता है। अतः दावा वादीगण के हक में राजस्व लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाता है कि ग्राम निठारा के आराजी ख.नं. 793, 802 834, 835 के खातेदार दीन सिंह पुत्र छगनसिंह राजपूत व ख.नं. 1044, 1035/1575 व ख.नं. 1076 व 1019, 1020, 1021, 1022 में दर्ज खातेदार दीनसिंह पुत्र छगनसिंह राजपूत के हक व हिस्से को इकजाई किशनसिंह, श्यामसिंह पि. दीनसिंह, आनन्द कंवर, ओमकंवर, [illegible] कंवर पुत्रियां दीनसिंह कौम राजपूत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली डिक्री जारी हो। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। (रवि विजय) उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)	